

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू  
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2025/233

दर्ज दिनांक— 08.05.2025

मुकदमा नम्बर 61/2025

मनोहरी देवी उर्फ नारायणी पुत्री घडसी जाति मेघवंशी निवासी नवलडी हाल आबाद गोठडा तहसील  
नवलगढ़ जिला झुझुनू

—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक :- श्री महेश कुमार नारनोलिया, पिकी सैनी  
वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक/09.09.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम  
नवलडी पटवार हल्का नवलडी तहसील नवलगढ़ की सरहद में खाता सख्यां नया 152 पुराना 299 के  
अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 670 रकबा 1.5300 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम नारायणी  
पुत्री घडसी के स्थान पर मनोहरी देवी पुत्री घडसी दुरुस्त किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की  
गई। अनावेदक की और से जरिये पैरा. राज. उपस्थित हो कोई उजर एतराज व्यक्त नहीं किया गया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रस्तुत दस्तजावेजों की  
छाया प्रति के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम नवलडी  
पटवार हल्का नवलडी तहसील नवलगढ़ की सरहद में खाता सख्यां नया 152 पुराना 299 के अन्तर्गत भूमि  
खसरा नम्बर 670 रकबा 1.5300 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम नारायणी पुत्री घडसी के  
स्थान पर मनोहरी देवी पुत्री घडसी दुरुस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे।  
तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।  
निर्णय/आदेश आज दिनांक/09.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS  
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़  
जिला—झुझुनू